न्यायालय श्री राजेन्द्र सिंह चारण, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 174/2021 (जीसीएमएस संख्या : 2021/186)
सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र स्व0 श्री नारायण, जाति–जाट, निवासी–हातोद, तहसील–जयपुर।
2. चन्दालाल पुत्र स्व0 श्री नारायण, जाति–जाट, निवासी–हातोद, तहसील–जयपुर।
3. प्रभुनारायण पुत्र स्व0 श्री नारायण, जाति–जाट, निवासी–हातोद, तहसील–जयपुर।
4. भूरीदेवी पत्नी स्व0 श्री नारायण, जाति–जाट, निवासी–हातोद, तहसील–जयपुर।
5. छीतर पुत्र श्री कल्याण, जाति–जाट, निवासी–हातोद, तहसील–जयपुर।(मृतक)
   - 5/1 कजोडमल पुत्र स्व0 श्री छीतरमल, जाति–जाट, निवासी–हातोद, तहसील –जयपुर।
   - 5/2 बाबुलाल पुत्र स्व0 श्री छीतरमल, जाति–जाट, निवासी–हातोद, तहसील –जयपुर।
   - 5/3 प्रताप पुत्र स्व0 श्री छीतरमल, जाति–जाट, निवासी–हातोद, तहसील–जयपुर।
   - 5/4 रूडी देवी पुत्री स्व0 श्री छीतरमल, जाति–जाट, निवासी–हातोद, तहसील –जयपुर।
   - 5/5 मनफूली देवी पुत्री स्व0 श्री छीतरमल, जाति–जाट, निवासी–हातोद, तहसील–जयपुर।
   - 5/6 सरजू देवी पुत्री स्व0 श्री छीतरमल, जाति–जाट, निवासी–हातोद, तहसील –जयपुर।
   - 5/7 लाली देवी पुत्री स्व0 श्री छीतरमल, जाति–जाट, निवासी–हातोद, तहसील –जयपुर।
6. ग्रेप वाइन प्रोपर्टीज प्रा0लि0 जयपुर त्रिपोलिया बाजार जरिये निदेशक श्रीमती शुभा कासलीवाल पत्नी श्री अजय कासलीवाल, निवासी–बी 6ए/2, पृथ्वीराज रोड, सेन्ट्रल पार्क के सामने, सी–स्कीम, जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 एवं अप्रार्थी संख्या 5/1 लगायत 5/7 असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
3. श्री बनवारी लाल शर्मा व उमेश कुमार शर्मा अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 14.03.2022

तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम हातोद की आराजी खसरा नम्बर 342

(लकड़ावाला) रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, आ0 ख0 नं0 345 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर बालमुकन्द जी बहतमाम पुजारी दामोदर वल्द नाथूलाल हि0 1/4 घासीलाल वल्द लक्ष्मीनारायण हि0 1/4 नाथूलाल वल्द गोपीलाल हि0 1/4 नारायण वल्द रघुनाथ हि0 1/4 अकवाम ब्राह्मण सा0 देह व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में नारायण वल्द शोला छीतर वल्द कल्याण अकवाम जाट सा0 देह खातेदार दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 401, 419, 420 द्वारा माफी मंदिर का इन्द्राज विलोपित कर दिया गया। माफी का इन्द्राज बिना वैध आदेश के विलोपित होकर कालम नं0 4 काश्तकार का नाम मय पिता का नाम में भंवरलाल चन्दालाल प्रभुनारायण पुत्र नारायण व भूरीदेवी पत्नी नारायण हि0 बराबर हि0 6/41 छीतर पुत्र कल्याण हि0 6/41 जाति–जाट सा0 देह ग्रेपवाईन प्रोपर्टीज प्रा0 लि0, जयपुर त्रिपोलिया बाजार जरिये निदेशक श्रीमती शुभा कासलीवाल पत्नी अजय कासलीवाल निवासी–554 शाही हाउस चोबियान स्ट्रीट हनुमान जी का रास्ता त्रिपोलिया बाजार, जयपुर हि0 29/41 के नाम ख0नं0 342 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा तथा भंवरलाल चन्दालाल प्रभुनारायण पुत्र नारायण व भूरीदेवी पत्नी नारायण हि0 बराबर हि0 7/76 छीतर पुत्र कल्याण हि0 7/76 जाति–जाट सा0 देह ग्रेपवाईन प्रोपर्टीज प्रा0 लि0, जयपुर त्रिपोलिया बाजार जरिये निदेशक श्रीमती शुभा कासलीवाल पत्नी अजय कासलीवाल निवासी–554 शाही हाउस चोबियान स्ट्रीट हनुमान जी का रास्ता त्रिपोलिया बाजार, जयपुर हि0 31/38 के नाम ख0नं0 345 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 में दर्ज है। देवमूर्ति की स्थिति शाश्वत अवयस्क की मानी गई है। अतः मूर्ति के नाम अंकित भूमि किसी दीगर के नाम होना गलत है। बिना किसी सक्षम आदेशों के मंदिर की आराजी स्थानान्तरित नही की जा सकती है। अतः वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में मन्दिर बालमुकन्द जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र मय स्थगन प्रार्थना–पत्र तहसीलदार, जयपुर द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर में प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया और आज्ञा दिनांक 30.04.2005 द्वारा प्रकरण अधीन आराजी की जमाबन्दी में भूमि माफी मन्दिर बालमुकन्द जी की होने से रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है, इस आशय का नोट अंकित किया

जाकर भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जाने के आदेश तहसीलदार, जयपुर को दिये गऐ। श्रवण क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप अग्रिम विचारण एवं निस्तारण हेतु प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गऐ। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 एवं 5/1 लगायत 5/7 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 6 जरिऐ अभिभाषक हाजिर हुऐ। अप्रार्थी सं0 6 ने जरिऐ अभिभाषक जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है। तहसीलदार, जयपुर द्वारा जरिऐ पत्र क्रमांक/भू अ/22/352 दिनांक 24.01.2022 जवाबुलजवाब दिया जो शामिल मिसल है।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 03 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर बालमुकन्द जी बहतमाम पुजारी दामोदर वल्द नाथूलाल हि0 1/4 घासीलाल वल्द लक्ष्मीनारायण हि0 1/4 नाथूलाल वल्द गोपीलाल हि0 1/4 नारायण वल्द रघुनाथ हि0 1/4 अकवाम ब्राह्मण सा0 देह व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में नारायण वल्द शोला छीतर वल्द कल्याण अकवाम जाट सा0 देह खातेदार दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 401, 419, 420 द्वारा माफी मंदिर का इन्द्राज विलोपित कर दिया गया। माफी का इन्द्राज बिना वैध आदेश के विलोपित होकर जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 के कालम नं0 4 काश्तकार का नाम मय पिता का नाम में भंवरलाल चन्दालाल प्रभुनारायण पुत्र नारायण व भूरीदेवी पत्नी नारायण हि0 बराबर हि0 6/41 छीतर पुत्र कल्याण हि0 6/41 जाति–जाट सा0 देह ग्रेपवाईन प्रोपर्टीज प्रा0 लि0, जयपुर त्रिपोलिया बाजार जरिये निदेशक श्रीमती शुभा कासलीवाल पत्नी अजय कासलीवाल निवासी–554 शाही हाउस चोबियान स्ट्रीट हनुमान जी का रास्ता त्रिपोलिया बाजार, जयपुर हि0 29/41 के नाम ख0नं0 342 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा तथा भंवरलाल चन्दालाल प्रभुनारायण पुत्र नारायण व भूरीदेवी पत्नी नारायण हि0 बराबर हि0 7/76 छीतर पुत्र कल्याण हि0 7/76 जाति–जाट सा0 देह ग्रेपवाईन प्रोपर्टीज प्रा0 लि0, जयपुर त्रिपोलिया बाजार जरिये निदेशक श्रीमती शुभा कासलीवाल पत्नी अजय कासलीवाल निवासी–554 शाही हाउस चोबियान स्ट्रीट हनुमान जी का रास्ता त्रिपोलिया बाजार, जयपुर हि0 31/38 के नाम ख0नं0 345

रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा दर्ज है। कृषक के कॉलम में दर्ज नारायण पुत्र शोला की फौतगी पर वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया और वारिसान/खातेदार द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र बेचान किये जाने पर क्रेता के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जिसमें माफी मन्दिर का इन्द्राज नहीं किया जाकर कृषकों को ही सर्वाधिकारी हितकारी मानते हुए व्यक्तिगत खातेदार का नाम दर्ज किया जाकर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। कृषक नारायण के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 401 दिनांक 07.06.1997 द्वारा मृतक के वारिसान के नाम, वारिसान/खातेदार द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र बेचान किये जाने पर नामान्तरकरण संख्या 420 दिनांक 10.11.1997 क्रेता के नाम स्वीकार किया गया। वादग्रस्त भूमि वास्तविक रूप से माफी मन्दिर बालमुकन्द जी की है। माफी मन्दिर/देवमूर्ति की स्थिति शाश्वत नाबालिग है और नाबालिग के हितो का इस प्रकार अन्तरण किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानो के विपरीत हैं। नाबालिग मूर्ति की खातेदारी आराजी पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते हैं। विचारण प्रकरण में नियमों के प्रावधानों के विपरीत राजस्व अभिलेखों में निजी खातेदारी दर्ज की है। माफी मन्दिर/देवमूर्ति की भूमि पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार उत्पन्न नही हो सकते है नाम भौक्ता के कालॅम मे दर्ज माफी मन्दिर बालमुकन्द जी का नाम हजफ कर कृषकों के नाम खातेदारी तत्पश्चात् वारिसान्/क्रेतागण के नाम खातेदारी दर्ज की गई है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 का प्रभाव 18.02.1952 को तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 23.03.1955 को प्रभावशील हुआ है। वादग्रस्त आराजी नाबालिग श्री बालमुकन्द जी के द्वारा धारण की गई आराजी है। नाबालिग के द्वारा अपनी खेती को चाहे जिस प्रकार के श्रम का उपयोग करते हुए खेती करवायी गई हो उसके व्यक्तिगत स्वयं के निगरानी मे खेती किये जाने के समान ही समझी जावेगी। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 2 (I) में स्पष्ट प्रावधान है कि खुदकाश्त भूमि वह भूमि है जिसे व्यक्तिगत स्वयं के द्वारा खेती की गई हो। धारा 2 (K) तथा धारा 2 (I) के साथ–साथ पढने से स्पष्ट है कि श्री बालमुकन्द जी एक शाश्वत नाबालिग देवमूर्ति के द्वारा धारण की गई कृषि भूमि खुदकाश्त की कृषि भूमि है और इस अधिनियम के प्रभाव के आने के दिन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने वाले योग्य अधिकारिक व्यक्ति होते है लेकिन राजस्व कर्मियों के द्वारा अवैध रूप से मन्दिर की आराजी को काश्त करने वाले काश्तकारों के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज कर

दी गई तत्पश्चात् विरासत व विक्रय के फलस्वरुप क्रेता के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दी गई जो अवैध होने से निरस्तनीय है। दिनांक 01.07.1963 को जागीर खालसा हुई है और मन्दिर बालमुकन्द जी के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना आवश्यक था परन्तु अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज की गई है, जो कि अवैध होने से निरस्तनीय है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अर्न्तगत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया है परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया को बगैर अपनाये अप्रार्थीगण का नाम नामान्तरकरणों के जरिये दर्ज कर दिये गये जो अवैध होने से निरस्तनीय है। नाबालिग की आराजी पर काश्त किये जाने से किसी अन्य को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 में स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि माफी मन्दिर की भूमि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभाव में आने के बाद राज्य सरकार मे निहित होगी। अतः वादग्रस्त आराजी राज्य सरकार में निहित होनी है ऐसी स्थिति में समस्त हस्तान्तरण एवं विरासत/विक्रय द्वारा अन्तरणों के इन्द्राजों को निरस्त कर भूमि को पुनः माफी मन्दिर बालमुकन्द जी में निहित किया जाना नितान्त आवश्यक है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वापिस माफी मन्दिर बालमुकन्द जी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अप्रार्थी सं0 6 के विद्वान अभिभाषक श्री बनवारी लाल शर्मा व श्री उमेश कुमार शर्मा का कथन है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को मात्र हैरान व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त आराजी खतोनी बंदोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 03 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर बालमुकन्द जी बहतमाम पुजारी दामोदर वल्द नाथूलाल हि0 1/4 घासीलाल वल्द लक्ष्मीनारायण हि0 1/4 नाथूलाल वल्द गोपीलाल हि0 1/4 नारायण वल्द रघुनाथ हि0 1/4 अकवाम ब्राह्मण सा0 देह व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में नारायण वल्द शोला छीतर वल्द कल्याण अकवाम जाट सा0 देह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार प्रथम–दृष्ट्या ही यह स्पष्ट हो जाता है कि विवादित आराजी कभी भी मन्दिर के खुदकाश्त की आराजी नहीं रही बल्कि भू–प्रबन्ध से पूर्व ही व्यक्तिगत खातेदारी की आराजी रही है। जयपुर स्टेट के तात्कालिक राजस्व अभिलेख खसरा गिरदावरी सम्वत्

2009 से 2011 व 2012 से 2015 में हाल खसरा नम्बर 342, 345 कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा (गत खसरा नंबर 298मि0 व 281मि0 282मि0 282/572) आराजी मन्दिर के नाम नहीं होकर काश्तकारों के नाम दर्ज रही है। इसी अनुसार खतौनी बन्दोबस्त भी बनाई जानी थी परन्तु बिना वैध अधिकार के मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015 में कॉलम संख्या 3 में मन्दिर का नाम गलत अंकित कर दिया गया। राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार किये जा रहे/प्रस्तुत किये गये रेफरेन्सों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज. –6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि ''जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मन्दिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मन्दिर मूर्ति निरन्तर अवयस्क है वह किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार, आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इसके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे प्रकरणों में जिनमें मन्दिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे। मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गयी थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुये खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मन्दिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है। ऐसी भूमि के सम्बंध में जो मन्दिर माफी की थी के सम्बंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि–सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर

खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।'' प्रथम बंदोबस्त से पूर्व खसरा नम्बर 342 के साबिक खसरा नम्बर 298 तथा खसरा नम्बर 345 के साबिक खसरा नम्बर 281, 282, 282/572 कायम थे, बन्दोबस्त से पूर्व की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2011 के कॉलम नम्बर 6 में पूर्व खातेदार नारायण वगैराह के नाम उप कृषक की हैसियत से दर्ज है अर्थात वादग्रस्त आराजी कतई माफी मन्दिर की नहीं होकर निजी खातेदारी की आराजी रही है। तत्पश्चात् सम्वत् 2009, 2010, 2011 की खसरा गिरदावरी में हाल बदोंबस्त खसरा नम्बर 342 व 345 कॉलम नम्बर 6 में बद्री वगैराह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज एवं अंकित रहे है जिनका साधिकार कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी मौठ बाजरा व गवार की फसल आराजी पर की गई से सिद्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की लार्जर बैंच के निर्णय दिनांक 15.07.2015 तारा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि काश्तकारी के रूप में कोई व्यक्ति काश्तकार रहा है तो उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर ने धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत जो रेफरेन्स प्रस्तुत किया है, वह रेफरेन्स राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के बाद तथा अप्रार्थीगण को तमाम खातेदारी अधिकार मय पैतृक वंशानुगत एवं पूर्ण अन्तरण के अधिकार (Heritable and transferable) प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 2 के अनुसार धारा 82 के प्रावधान विचारण प्रकरण पर लागू नहीं होते है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 एक विशेष अधिनियम है। इसके प्रभाव में आने पर उस पर जनरल लॉ ओवर राईट इफेक्ट नहीं रखते है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 2 के अन्तर्गत जारी किये गये स्पेशल गजट नोटिफिकेशन दिनांक 01.01.1959 क्रमांक एफ. (338)/1.ए/53 में जागीर कमिश्नर द्वारा वादग्रस्त आराजी को मन्दिर की जागीर में सम्पत्ति खुदकाश्त नहीं मानी है अर्थात मन्दिर की निजी सम्पत्ति नहीं है रिज्यूम कर मुआवजा (compensation) जरिये आदेश दिनांक 24.04.1962 को दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी को देव भूमि या माफी मन्दिर की होना नहीं माना जा सकता है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 2 (एच) में स्पष्ट प्रावधान है कि जागीर भूमि से तात्पर्य लैण्ड रेवन्यू से है अर्थात वे उस

भूमि के मालिक नहीं होते बल्कि लैण्ड से होने वाली आय से है। मन्दिर की भूमि जागीर लैण्ड की परिभाषा में आती है अर्थात वे मालिक नहीं थे, बल्कि यह भूमि लैण्ड रेवन्यू के लिये उनके नाम दर्ज की गई थी लेकिन मन्दिर या उसके महन्त या पुजारी ने वादग्रस्त आराजी को कभी भी काश्त नहीं किया बल्कि काश्त करने वाले मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज थे जिन्होने बहैसियत काश्तकार आराजी को काश्त की है। वादग्रस्त आराजी राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 10 के तहत नहीं है अर्थात मन्दिर की निजी सम्पत्ति नहीं है और न ही खुदकाश्त है। इसीलिये उक्त अधिनियम के तहत मन्दिर को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 14.03.1955 को प्रभाव में आया तथा प्रभाव में आने के समय अप्रार्थीगण के पूर्वज वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत कृषक काबिज थे और काश्त कर रहे थे, बतौर कृषक के रूप में रेवन्यू रिकॉर्ड मे नाम दर्ज था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जो व्यक्ति बतोर कृषक जमीन पर काश्त कर रहा था उसे धारा 15 के तहत टीनेन्सी के अधिकार प्रदान कर दिये तथा अप्रार्थीगण के पूर्वजों को धारा 41 के तहत अन्तरण के पूर्ण अधिकार (transferable rights) प्राप्त हो गये तथा अप्रार्थीगण के पूर्वज पीढी दर पीढी काश्त कर रहे थे, इसलिये उनको पैतृक वंशानुगत अधिकार (heritable rights) स्वतः ही प्राप्त थे। ऐसी स्थिति में मंदिर का वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार शेष नहीं रहने से धारा 82 के तहत रेफरेन्स चलने योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है। जागीर एक्ट लागू होने के समय धारा 9 के तहत जिन काश्तकारों को पैतृक वंशानुगत एवं पूर्ण अन्तरण अधिकार (heritable and transferable rights) प्रदान किये गये वे सभी व्यक्ति संबंधित भूमि के खातेदार काश्तकार कानूनन हो गये और उन्हे (heritable and transferable rights) प्राप्त हो गये धारा 9 के मुताबिक भी अप्रार्थीगण के पूर्वजों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये और जो अधिकार उन्हें पूर्व में प्राप्त हो गये थे, उन्हे राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 द्वारा भी रेग्यूलाराईज कर दिया गया तथा नई जमाबंदी बनने के वक्त उक्त अधिनियमों के प्रभाव में आने से प्रचलित अधिनियमों के प्रावधानों के तहत (by operation of law) अप्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम बतौर खातेदार काश्तकार रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जिसके विरूद्ध बिना दस्तावेजों का अध्ययन मनन परिशीलन किये ही सरसरी तौर पर प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र विधि

के वर्णित सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 1959 पेज 173 में स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 से पूर्व जयपुर राज्य में जयपुर भू–राजस्व अधिनियम, 1947 प्रभाव में रहा है। ऐसी स्थिति में जयपुर राज्य द्वारा संधारित की गई जयपुर स्टेट की खसरा गिरदावरी को अधिकारों के अभिलेख होने से इंकार नहीं किया जा सकता अर्थात खसरा गिरदावरी को अधिकार अभिलेख माना गया है। प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2015–2034 को रेफरेन्स आधार बनाया गया है उसमें मंदिर बालमुकन्द जी भौक्ता के रूप में दर्ज है न कि कृषक के रूप में बल्कि कृषक के रूप में अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थीगण के पूर्वज या अप्रार्थीगण ना तो मंदिर के पुजारी ना ही किरायेदार थे, ना ही सेवादार थे ना ही मंदिर के मंदिर की इजाजत से काश्त करते थे ना ही मंदिर के लिए काश्त करते थे और ना ही मंदिर खर्चे पर ही काश्त करते थे बल्कि जयपुर स्टेट के समय से बहैसियत कृषक आराजी पर काबिज थे और काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। रेफरेन्स प्रकरणों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्र दिनांक 24.05.2007, 06.01.2010 व 25.11.2011 राजस्व अधिकारियों के लिए मार्गदृष्टा है और इन परिपत्रों की परिधी में ही राजस्व अधिकारियों द्वारा माफी मन्दिर संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया जाना है। इन परिपत्रों में स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति बहैसियत खातेदार आराजी में काश्त कर रहा है उसकी हैसियत खातेदार की है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये परिपत्रों के विपरीत प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर द्वारा विचारण प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007, 06.01.2010 व 25.11.2011 के निर्देशों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की एकल पीठ द्वारा प्रकरण संख्या 4345/2011 उनवानी सरकार बनाम नारायण में दिनांक 19.03.2015 को निर्णय पारित किया गया है। जो आर.आर.डी. 14.07.2015 पेज 370–376 पर मुद्रित है, इसमें मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 की जमाबन्दी के कॉलम संख्या 3 में माफी ठाकुर जी पुजारी लालदास पुत्र बलदेव दास और कॉलम संख्या 5 में कृषक रूघा पुत्र गीदा कौम जाट अंकित था, अतिरिक्त कलक्टर, जयपुर ने आराजी को मंदिर की मानते हुए रेफरेन्स प्रस्तुत किया परन्तु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम संख्या 5 में कृषक रूघा पुत्र गीदा का नाम

अंकित होने से मंदिर की खुदकाश्त आराजी न मानकर कृषक रूघा पुत्र गीदा की खातेदारी आराजी मानी है और रेफरेन्स को खारिज किया है। इस निर्णय को चुनौती दिये जाने के संबंध में उप राजकीय अधिवक्ता ने वादग्रस्त आराजी को खुदकाश्त माना जाना न्यायोचित नही होने की टिप्पणी की है। उनके द्वारा यह भी टिप्पणी की गई है कि यह बिन्दु राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की वृहद पीठ द्वारा भी निर्णित किया जा चुका है अतः उनकी राय में ऐसी स्थिति में प्रकरण को आगे चुनौती दिया जाना न्यायोचित नहीं है। जिला कलक्टर, जयपुर के द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की आज्ञा दिनांक 19.03.2015 के विरूद्ध चुनौती दिये जाने के बजाये प्रकरण में जमाबन्दी में आवश्यक टिप्पणी अंकन व नामान्तरकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के तहसीलदार, जयपुर को निर्देश दिये है। ऐसी स्थिति में विचारण रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र कतई चलने योग्य न होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 6 के विद्वान् अभिभाषकगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कभी भी मन्दिर बालमुकन्द जी की खुदकाश्त नहीं रही है अपितु काश्तकारों की रही है। यह तथ्य खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2011 व 2012 से 2015 के अवलोकन से स्पष्ट सिद्ध है। वास्तव में खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015 में जो बनाई गई वह भी इसी अनुसार बनाई जानी थी परन्तु बिना वैध अधिकार के कॉलम संख्या 3 में मन्दिर का नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) सम्वत् 2015–2034 के कालम संख्या 5 के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि मिसल बन्दोबस्त बनाये जाने से पूर्व ही मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे है। सम्वत् 2015 मिसल बन्दोबस्त में मंदिर बालमुकन्द जी का नाम कॉलम संख्या 3 नाम भौक्ता में दर्ज है परन्तु वादग्रस्त आराजी मन्दिर बालमुकन्द जी की खुद–काश्त की नहीं रही है तथा भौक्ता शब्द का तात्पर्य तत्समय संबंधित भूमि के द्वारा प्राप्त राजस्व आय को भोगने वाला अर्थात जागीरदार के लिये प्रयुक्त है उपभोक्ता वह था जिसे जागीरदार द्वारा कतिपय उद्देश्यों हेतु भूमि को लीज पर दिया जाता था कृषक वह था जो तत्समय भूमि पर कृषि कार्य करता था। सम्वत् 2015 की खतोनी बंदोबस्त (जमाबंदी) में नाम भोक्ता के कॉलम में माफी मन्दिर ठिकाना बालमुकन्द जी का नाम दर्ज था जिससे यह स्पष्ट है कि माफी मन्दिर ठिकाना श्री बालमुकन्द जी का नाम जागीरदार की हैसियत से दर्ज था पुनः यह भी उल्लेखनीय है कि जमाबंदी सम्वत 2015 के कॉलम संख्या 5 कृषक व कृषिकाल कॉलम में अप्रार्थीगण के पूर्वज खातेदार अंकित है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के

पूर्वज बजमाने जागीर से ही काबिज होकर काश्त करते रहे है मंदिरो को माफी की भूमि जागीर के रूप में माना गया है तथा राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर (जागीर एक्ट की अनुसूची के अनुसार माफी की भूमि को जागीर की ही एक किस्म मानी गई है जो कि अनुसूची के क्रम 15 पर दर्ज है) जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ–साथ माफी भूमियों का निस्तारण "राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952" की धारा 9 व 10 व राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.07.1963 के तहत जागीर पुनर्ग्रहण के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार कृषक या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुये खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पूर्वज वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त रहे है। मिसल बन्दोबस्त 2015 तैयार किये जाने से पूर्व भी उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर (सम्वत् 2009 में मंदिर माफी की भूमि नहीं होकर) खातेदारी दर्ज रही है। वादग्रस्त भूमि खातेदारी काश्तकारी में दर्ज होकर मिन अप्रार्थीगण के पूर्वजो/हक पूर्व अधिकारियो के नाम दर्ज रही है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरा नम्बर की खतोनी बंदोबस्त में अव्वल तो मन्दिर का नाम गलत इन्द्राज किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि गिरदावरी व कब्जे काश्त अनुसार अप्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम खातेदारी में चली आ रही है, इस प्रकार खातेदारी में दर्ज होने के बावजूद गलत रूप से रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। दोयम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अस्तित्व में आने की दिनांक 15–10–1955 को धारा 15 के अनुरूप जागीर की भूमि में खतोनी बन्दोबस्त में कॉलम संख्या 5 में दर्ज कृषकों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। इसी कारण गत 60 वर्षो से अधिक समय से राजस्थान सरकार के कानूनों के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में खातेदार/काश्तकार दर्ज होकर काबिज काश्त चले आ रहे है, प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर द्वारा तथ्यों के विपरीत रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नही होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक गणों का यह भी कथन है कि वादग्रस्त आराजी का सक्षम अधिकारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 401, 419, 420 वैध रूप से तस्दीक किया गया है तथा वर्तमान में अप्रार्थी ग्रेपवाईन प्रोपर्टीज प्रा0 लि0, जयपुर त्रिपोलिया बाजार जरिये निदेशक श्रीमती शुभा कासलीवाल पत्नी अजय कासलीवाल निवासी–554 शाही हाउस चोबियान स्ट्रीट हनुमान जी का रास्ता त्रिपोलिया

बाजार, जयपुर द्वारा तत्कालीन खातेदार भूरी पत्नी नारायण भंवरलाल चंदालाल प्रभुनारायण पुत्रान नारायण छीतर पुत्र कल्याण, जाति–जाट निवासी–ग्राम हातोद से जरिये तीन पृथक–पृथक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.10.1997, विक्रय पत्र दिनांक 22.10.1997 व विक्रय पत्र दिनांक 22.10.1997 वादग्रस्त आराजी को दर्ज राजस्व अभिलेख खातेदारान को उचित नकद प्रतिफल देकर सदभाविक रूप से क्रय किया है और वादग्रस्त आराजी को क्रय किये जाने के दिन से ही अप्रार्थी संख्या 6 का वादग्रस्त आराजी पर साधिकार काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 6 का नाम राजस्व अभिलेख में बतोर खातेदार अंकन हो चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को किसी के द्वारा चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं कराया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रेता को प्राप्त खातेदारी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये रेफरेन्स के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। रेफरेन्स के माध्यम से वादग्रस्त आराजी के विक्रय पत्रो को चुनौती नहीं दी जा सकती है इसलिये रेफरेन्स क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें ।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर के विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत द्वारा वरवक्त बहस कथन किया है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 2 (I) में स्पष्ट प्रावधान है कि खुदकाश्त् भूमि वह भूमि है जिसे व्यक्तिगत स्वयं के द्वारा खेती की गई हो, धारा 2 (K) तथा 2 (I) के साथ–साथ पढने से स्पष्ट है कि श्री बालमुकन्द जी एक शाश्वत नाबालिग देव मूर्ति के धारण की गई कृषि भूमि खुदकाश्त् की कृषि भूमि है और इस अधिनियम के प्रभाव के आने के दिन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने वाले योग्य अधिकारिक व्यक्ति होते है; के संबंध में हमने धारा 2 (H), 2 (I) एवं 2 (K) का अवलोकन किया जोकि ज्यौं की त्यौं निम्न प्रकार हैः–

Section 2(H) - jagir land means any land in which or in relation to wich a jagirdar has right in respect of land revenue or any other kind of revenue and includes any land held on any of the tenures specified in the frist schedule."

Section 2(l)

(1) khudkasht means any land cultivated personally by a jagirdar and inclides.

(2) any land recored as khudkasht, sir, or hawala in a settlement records; and

(3) any land alloted to a jagairdar as khudkasht under Chaper IV];

or section 2(k) :-

(1) Land cultivated personally' with its gramatical variations and congnate expressions menas and cultivated on one's own account

(1) by one's own labour; or

(2) by the labour of any member of one's family; or

(3) by servants on wages payable in case or kind (but not by way of a share in crops) or by hired labour under one's personal supervision or the personal supervision of any member of one's family,

उक्त धाराओं के परिपेक्ष्य में निष्कर्ष रूप से यह तथ्य उजागर होते है कि माफी मन्दिर श्री बालमुकन्द जी भू–राजस्व प्राप्त किये जाने हेतु अधिकृत थे और वादग्रस्त आराजी को जागीरदार मन्दिर श्री बालमुकन्द जी द्वारा न तो व्यक्तिगत रूप से काश्त की है और न ही वादग्रस्त आराजी भू–प्रबन्ध रिकार्ड में खुदकाश्त अंकित है, वादग्रस्त आराजी को स्वयं के द्वारा या स्वयं के श्रमिकों से भी काश्त कराया जाना जाहिर नहीं होता है। अतः विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का यह कथन कि श्री बालमुकन्द जी एक शाश्वत नाबालिग देव मूर्ति के धारण की गई कृषि भूमि खुदकाश्त् की कृषि भूमि है और इस अधिनियम के प्रभाव के आने के दिन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने वाले योग्य अधिकारिक व्यक्ति होते है, लागू नहीं होने से हम सहमत नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) के तहत मंदिर मूर्ति अन्य व्यक्तियों के माध्यम से काश्त करा सकते है और ऐसे अन्य व्यक्तिओं को मंदिर मूर्ति की भूमि पर कभी भी खातेदार अधिकार प्राप्त नही होते है, परन्तु यह प्रावधान दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था, जबकि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 लागू होने के कारण खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 के कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में नारायण वल्द शोला छीतर वल्द कल्याण अकवाम जाट सा0 देह खातेदार दर्ज होने से वादग्रस्त आराजी के

निजी खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत समाप्त नही किये जा सकते है। खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम संख्या 3 में माफी मन्दिर बालमुकन्द जी बहतमाम पुजारी दामोदर वल्द नाथूलाल हि0 1/4 घासीलाल वल्द लक्ष्मीनारायण हि0 1/4 नाथूलाल वल्द गोपीलाल हि0 1/4 नारायण वल्द रघुनाथ हि0 1/4 अकवाम ब्राह्मण सा0 देह का नाम अंकित है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी जागीर भूमि थी। अब यह प्रश्न उठता है कि जिन जागीर भूमियों पर खुदकाश्त का अंकन था, ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने पर इस अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जो जागीरदार ''खुदकाश्त'' की भूमि धारण करता था, वह उन भूमियों के खातेदार हो गये है लेकिन चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी की खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 के कॉलम नं0 5 नाम कृषक में नारायण वल्द शोला छीतर वल्द कल्याण अकवाम जाट सा0 देह खातेदार, का नाम दर्ज है और तहसीलदार, जयपुर ने सम्वत् 2015 से पूर्व का ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वादग्रस्त आराजी मंदिर की ''खुदकाश्त'' दर्ज रही हो वरन जो तहसीलदार, जयपुर एवं अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से प्रस्तुत की गई नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2008–2011, सम्वत् 2012–2015 से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी कृषकों द्वारा जागीर अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही काश्त की जा रही थी। राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 अधिनियम की धारा 2(H) के अनुसार माफी भूमियों के लिए मंदिर मूर्ति की हैसियत जागीरदार की थी तथा धारा 21 एवं 22 अनुसार उक्त भूमियां भी पुनर्ग्रहण के बाद सरकार के स्वामित्व में आ गई। राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 अधिनियम मुख्य रूप से भूमि सुधार हेतु लागू किया गया था और काश्तकारों के अधिकारों के हित में इस अधिनियम में धारा 9 एवं धारा 10 का प्रावधान किया गया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 13 A, 15 में भी प्रावधान जोडा गया। अतः राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 अधिनियम की धारा 9 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान एक दूसरे के पूरक है जिसके तहत हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण की हैसियत सदैव काश्तकार की रही है। चूंकि प्रश्नागत भूमि मंदिर माफी की ''खुदकाश्त'' नही थी, जो कोई काश्तकार जागीर भूमियों पर उक्त अधिनियम लागू होने के दिन बतौर खातेदार पट्टेदार या खड़गमदार अथवा अन्य किसी नाम से दर्ज था, जिसे पैतृक अधिकार तथा हस्तान्तरणीय

अधिकार प्राप्त थे, तो ऐसे व्यक्ति खातेदार काश्तकार कहलायेगें। हस्तगत प्रकरण के राजस्व रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 के कॉलम नं0 5 नाम कृषक में नारायण वल्द शोला छीतर वल्द कल्याण अकवाम जाट सा0 देह खातेदार दर्ज है अतः उनकी स्थिति राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अनुसार खातेदार की हो गई। इस संदर्भ में राजस्व मण्डल की एकलपीठ ने भी भिन्न–भिन्न निर्णयों में यह व्यवस्था दी है कि जागीर का पुनर्ग्रहण होने के समय यदि कृषक का नाम था तो वहां रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर कृषक के नाम के इन्द्राज को निरस्त किया जाकर माफी मंदिर का नाम दर्ज किया जाना न्यायौचित नही है। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों को अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषकगण ने वरवक्त बहस रेफरेन्स प्रकरणों में मार्गदृष्टा होने का कथन किया है। जिससे हम सहमत है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में कलक्टर को अपनी राय के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स किये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र प0क्रः–3(2)राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 को ज्यौं की त्यौं अंकित किया जाना समीचीन समझते है ''1. राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क है। अतः इसकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है। बलदेव बनाम मूर्ति मंदिर श्री कृष्ण जी महाराज आ.आर.डी 1994 में निर्णित किया गया है कि मंदिर में पुजारी कौन होगा व उसके उत्तराधिकार के संबंध में विवाद दीवानी न्यायलयों द्वारा ही तय किया जा सकता है। मंदिर मूर्ति के खाते में पुजारी या सेवायत का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका काफी दुरूपयोग होता है। राजस्व रिकार्ड में पुजारी अथवा सेवायत का नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। मूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के संबंध में अनावश्यक मुकदमें बाजी को रोकने के लिए परिपत्र दिनांक 13.12.1991 में निम्न निर्देश दिये गये थे :–

(i) भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी सा सिवायत का नाम नहीं लिखा जावे।

(ii) प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मो में अलग से रखा जावे जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे।

(iii) जो जमाबंदी बन चुकी है। तथा वर्तमान में प्रभावशील है उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा उपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे। इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जावे।

2. जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मन्दिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मन्दिर मूर्ति निरन्तर अवयस्क है वह किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार, आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इसके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे प्रकरणों में जिनमें मन्दिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे।

3. मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गयी थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुये खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मन्दिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।

4. ऐसी भूमि के सम्बंध में जो मन्दिर माफी की थी के सम्बंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। धारा 9 निम्न प्रकार है:–

"जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार– जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो

कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।

5. जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि–सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।

6. वर्तमान में इस विषय में क्रम संख्या 5 पर अंकित प्रकरणों में जहां विभिन्न राजस्व न्यायालयों में जो प्रकरण लंबित है तथा राजस्व बोर्ड के समक्ष जो संदर्भ (reference) लंबित है। उन प्रकरणों में संबंधित अधिकृत अधिकारी उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप विधिक स्थिति से अवगत कराते हुए उन प्रकरणों/संदर्भों को निस्तारण करायेंगे।"

निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक राम/प–63/न्याय/स्था/05/636–689 दिनांक 06.01.2010 द्वारा समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलक्टर, समस्त राजस्व अपील अधिकारी को लिखा गया है कि मन्दिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के संबंध में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी उनमे उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि–सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तरण खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। अतः विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का विभिन्न स्तरों पर त्रुटिवश संदर्भ हेतु लम्बित प्रकरणों का निस्तारण तद्नुसार ही कराया जाना सुनिश्चित करावें।

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प03(2)राज–6/07/19 दिनांक 25.11.2011 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भू–प्रबन्ध अधिकरियों, राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायतों के नाम हटाने के साथ–साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण

अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत हुए थे। यह कार्यवाही कानूनी रूप से गलत तथा पत्र दिनांक 13.12.1991 की मंशा के विरूद्ध की गई कार्यवाही थी। इस प्रकार परिपत्र दिनांक 24.05.2007, पत्र दिनांक 06.01.2010 और परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में दिऐ गऐ दिशा–निर्देशों के विपरीत वादग्रस्त आराजी को मंदिर वालमुकन्द जी के नाम लगाने हेतु तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र को रेफरेन्स किये जाने की राय से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाये जाने योग्य नहीं पाते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 के परिपेक्ष्य में विद्वान् राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी राज्य सरकार में निहित होनी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त हस्तान्तरण एवं विरासत अन्तरणों को निरस्त कर भूमि को पुनः माफी मंदिर बालमुकन्द जी में निहित किया जाना नितान्त आवश्यक है। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत के कथन से हम सहमत नहीं है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पैरा 48 में किया प्रश्न सं0 1 व इसका उत्तर अपने आप में ऐसे प्रकरणों की स्पष्टतः स्थिति स्पष्ट करता है। निर्णय दिनांक 15.07.2015 में पारित पैरा 48 का प्रश्न 1 व उत्तर ज्यौं की त्यौं निम्नानुसार हैः–

" In order to summarize the answer, the question framed by the court and our decision on the question are stated as below :-

"Question No. (1) Whether the land in jagir, by Hindu Idol (deity) as Dolidar of Muafidar Cultivated by a person other than shebait/pujari of the deity or by hired labour or servents engaged by its shebait/pujari as a tenant of the deity, such idol being treated as a perpetual minor, will still be regarded as land held in the personal cultivation of the deity or will such land be regarded as held in the tenancy by the person cultivating such land as tenant of a deity ?

Answer:- The Question no. (1) is decided in favour of the state and against the shebait/pujari claiming the land to be saved by the Jagirs Act. 1952. The land held in jagir by hindu idol (deity) as dolidar or mafidar cultivated by a person other then the shebait/pujari of the deity personally or by hired labour or servants engaged by its shebait/pujari as a tenant of the deity, shall vest in the state, after the jagirs act 1952. The Hindu idol (deity), even if it is treated to be a perpetual minor, could not continue to hold such land. Such land cannot be treated to be in its personal cultivation. A tenant of such land cultivating the land acquired the rights of khatedar of the state. Such land under the tenancy of person other then shebait/pujari of hindu idol (deity) become

khatedari land of such tenant. the name of hindu idol (deity) from such land had to expunged from the revenue records with shebait/ pujari having no right to claim the land as khatedar. Consequently, they had no right to transfer such lands, and all such transfers have to be treate as null and void, in contravention of the Jagirs Act, 1952 and the land under such transfers to resumed by the state.

विचारण प्रकरण में सेवायत/पुजारी के नाम आराजी को दर्ज किये जाने का विवाद नही है बल्कि सम्वत् 2015–2034 से पूर्व ही सेवायत/पुजारी के अन्यथा अन्य व्यक्तियों द्वारा काबिज/काश्त किये जाने के कारण कालम सं0 5 नाम कृषक में नारायण वल्द शोला छीतर वल्द कल्याण अकवाम जाट सा0 देह खातेदार दर्ज रही है और इनके नाम निरन्तर जमाबंदी में बदस्तूर रहेंगे, इस प्रकार स्पष्ट है कि तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मे ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये हैं, जो मार्गदर्शन दिनांक 24.05.2007, दिनांक 06.01.2010 व दिनांक 25.11.2011 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 के परिपेक्ष्य मे रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हो। वरवक्त बहस अप्रार्थी संख्या 6 के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की एकल पीठ द्वारा प्रकरण संख्या 4345/2011 उनवानी सरकार बनाम नारायण में दिनांक 19.03.2015 को निर्णय पारित कर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया है। जो आर.आर.डी. 14.07.2015 पेज 370–376 पर मुद्रित है, को विचारण प्रकरण पर चस्पा होने का कथन किया है, के अवलोकन से हमारा विनम्र मत है कि न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 14.07.2015 के तथ्य एवं विचारण प्रकरण के तथ्य समान है। अतः आर.आर.डी 14.07.2015 विचारण प्रकरण पर चस्पा होने से तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है।

अतः उक्त विवेचनानुसार मिसल बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 के कॉलम संख्या 5 के अनुसार दर्ज इन्द्राजों की निरन्तरता में विरासत/विक्रय के नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप निजी खातेदारी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्याय–संगत नहीं है। अतः तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थन–पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चारण) 14.3.22.
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर